कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (छ0ग0)

संशोधित ।। निविदा सूचना।।

क्रमांक 1049 /निविदा/स्वा0वि0/2016–17 राजनांदगाँव दिनांक 20/1/2016

पुर्व में स्वा0वि में विभिन्न 6 वार्डो का सफाई ठेका के माध्यम से कराने हेतु दिनांक 20/01/17 को निविदा आमंत्रित की गई थी जिसे संसोधित करते हुये निम्नानुसार दिनांक को निविदा आमंत्रित की जाती है –

1. निविदा फार्म लेने की अंतिम तिथि – 3/2/2017 शाम 5.00 बजे तक
2. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 4/2/2017 शाम 5.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की अंतिम तिथि – 6/2/2017 शाम 5.00 बजे तक

क्रमांक	कार्य का नाम	(प्राक्कलन राशि)
1	2	3
1	वार्ड क्रमांक 20 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न निविदाकार द्वारा)	कलेक्टर दर से कम या अधिक
2	वार्ड क्रमांक 21 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न निविदाकार द्वारा)	कलेक्टर दर से कम या अधिक
3	वार्ड क्रमांक 47 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न निविदाकार द्वारा)	कलेक्टर दर से कम या अधिक
4	वार्ड क्रमांक 49 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न निविदाकार द्वारा)	कलेक्टर दर से कम या अधिक
5	वार्ड क्रमांक 50 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न निविदाकार द्वारा)	कलेक्टर दर से कम या अधिक
6	वार्ड क्रमांक 51 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न निविदाकार द्वारा)	कलेक्टर दर से कम या अधिक

उपरोक्त कार्यो की निविदा से संबंधित सामान्य शर्ते, धरोहर राशि,विस्तृत निविदा,निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय,नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव के (स्वास्थ्य विभाग) एवं वेबसाइट **www.mcrjn.com** से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (छ0ग0)

।।निविदा शर्ते।।

1. आहूत निविदा अनुबंध दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति के माध्यम से स्पीड पोस्ट/कुरियर के द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।
2. निविदा में स्थानीय महिला स्व सहायता समूह एवं सहकारी समिति ही **(बचत शाख समूह)** ही भाग ले सकेंगे।
3. निविदाकार को अमानती राशि बतौर एफ.डी.आर. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव के नाम से जमा करना होगा।
4. निविदाकार के देयकों से नियमानुसार आयकर राशि एवं अन्य कटौती नियमानुसार किया जायेगा।
5. असफल निविदाकारों की अमानती राशि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध उपरांत ही प्रदाय की जा सकेगी।
6. भाग लेने वाले निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार के श्रम संबंधी विवादों का निपटान स्वयं करना होगा इस संबंध में नगर निगम की जिम्मेदारी नही होगी।
8. सफल निविदाकार का **EPFO** में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
9. गुणवत्ता संबंधी शिकायत वाली समिति निविदा हेतु पात्र नही होंगे।
10. निर्धारित क्षेत्रो की सभी नालियों, सडकों, गलियों, सार्वजनिक मैदानों, तालाबों, आदि से निकलने वाले अपशिष्ट को मुख्य मुक्कड/कन्टेनर में भरना होगा जहाँ से निगम अपने वाहन कें माध्यम से उसका परिवहन आसानी से कर सकें।
11. निविदाकार को प्रत्येक वार्ड में कर्मचारी से डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य अनिवार्य रूप से वार्ड में स्थित प्रत्येक घरो से करना आवश्यक होगा। डोर टू डोर कचरा संग्रहण कार्य की राशि वसूल कर निगम कोष में जमा करना होगा।
12. ऐसी संस्था/समिति/महिला स्व सहायता समूह जो काली सूची में हैं वो संस्था भाग नही ले सकती।
13. कचरा मुक्कड/कन्टेनर के बाहर नही होना चाहिए, कचरा मुक्कड/कन्टेनर के बाहर होने की स्थिती में कार्य की अनुपातिक राशि काटी जा सकेगी
14. कार्य की अवधी 8 घंटे की होगी जो कमशः प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक होगी, निर्धारित अवधि में कार्य करते हुए नही पाये जाने पर अनुपातिक राशि कटौती की जावेगी साथ ही अनुपस्थित श्रमिकों कि वेतन कटौती देयक से की जायेगी।
15. वार्ड से निकलने वाले समस्त कचरों को ट्रेंचिगं ग्राउण्ड तक परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर निर्धारित शुल्क आपके देयक से प्रतिमाह कटौती की जायेगी।
16. आवश्यकता पडने पर निगम सीमांतर्गत किसी भी क्षेत्र में कार्य लिया जा सकेगा।

कमशः पृष्ठ 2 पर

17. सफल निविदाकार को उपस्थिती पंजी संधारण करना होगा जिसे प्रतिदिन सफाई दरोगा एवं स्वच्छता निरीक्षक से सत्यापन कराना होगा।
18. सफाई संबंधी सामग्री रापा, झाड़ू, टोकना, हाथठेला, कीटनाशक दवाईयां, जलशुद्धिकरण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री आदि की व्यवस्था सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।
19. समस्त वार्ड में प्रत्येक 500 मीटर पर नाली/सड़क पर एक श्रमिक रखकर कार्य कराना होगा।
20. सफल निविदाकार को संबंधित वार्ड के सफाई कार्यो का निरीक्षण स्वयं करना होगा।
21. सफल निविदाकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को प्रतिदिन 4.00 बजे स्वास्थ्य विभाग में आना होगा व प्रतिदिन वार्ड में किये गये कार्य का विवरण देकर अगले दिन का कार्य आदेश प्राप्त करना होगा।
22. वार्ड में किये गये कार्यो का सत्यापन वार्ड पार्षद तथा संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों से कराना होगा।
23. निविदा में दर कलेक्टर दर से कम या अधिक देना होगा।
24. दुर्घटना आदि होने पर चिकित्सा/मुआवजा सफल निविदाकार को देना होगा। नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
25. किसी भी स्थिति में श्रमिक, नगर पालिक निगम, में नौकरी का दावा नही करेंगे श्रमिक सफल निविदाकार के अधीन रहेंगे।
26. सफल निविदाकार को नुवान, फिनाईल, गैमग्जीन एवं अन्य कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव स्वयं के व्यय से सप्ताह में दो दिन बुधवार व शनिवार को करना होगा। सत्यापन स्वास्थ्य निरीक्षक से कराया जाना होगा।
27. नाली सफाई नाली के तल्ले तक की लद्दी **(सिल्ट)** साफ करना होगा। आवश्यकतानुसार गहरा करना होगा।
28. कच्ची नाली पानी का ढाल देते हुए साफ करना होगा। आवश्यकतानुसार गहरा भी करना होगा।
29. ठेका वार्ड के प्रतिनिधि को 24 घंटे x 7 दिन (सप्ताह के सातो दिवस) मोबाईल चालू हालत में रखना होगा।
30. सफल निविदाकार को सूचना प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर रू 50.00/-(पचासरूपये) के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना आवश्यक होगा।
31. कार्यरत् कर्मचारियों की ई.पी.एफ. एवं एल.आई.सी. की राशि निविदाकार को जमा करना होगा अर्थात् श्रमिकों के वेतन से 12 प्रतिशत् ई.पी.एफ. एवं 1.75 प्रतिशत् एल.आई.सी. की कटौती की जायेगी तथा ठेकेदार द्वारा 13.61 प्रतिशत् ई.पी.एफ. व 3.75 प्रतिशत् एल.आई.सी. को मिलाकर कुल 25.61 प्रतिशत् ई.पी.एफ. व 5.5 प्रतिशत् एल.आई.सी. की राशि कर्मचारी के खाते में जमा करना होगा, तत्पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। जमा नही करने पर चलित देयक से उक्त राशि की कटौती की जायेगी। जिसकी संपुर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना होगा।

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

32. समय–समय पर आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित वार्ड से संबंधित जानकारी एवं सर्वे कार्य निविदाकार को कराया जाना अनिवार्य होगा।

33. सफाई श्रमिकों की हाजिरी बायोमैट्रिक मशीन से लेना अनिवार्य होगा पश्चात् देयक का भूगतान किया जावेगा।

34. कर्मचारियों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।

35. निविदाकार को उस वार्ड में कार्यरत् प्लेसमेंट कर्मचारियों को ही सफाई कार्य हेतु रखना अनिवार्य होगा।

36. किसी भी विवाद की स्थिती में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावा/अपील ग्राह्य नही किये जावेंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव